न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 30 / 2017	2017 / 00229	18.04.2017	20.06.2023

1. गोरधन पुत्र लल्लूराम दत्तक पुत्र गणेश जाति मीना, निवासी ग्राम बहडको वास ककराली, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार रैणी, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार रैणी दिनांक 20.05.1989 नामान्तकरण संख्या 5 वाके ग्राम बहडको कला तहसील रैणी

उपस्थितः–

01. श्री विजय कुमार शर्मा – वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 20.05.1989 नामान्तकरण संख्या 5 वाके ग्राम बहडको कला तहसील रैणी जिसके द्वारा नामान्तकरण गोदनामा का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि गणेश पुत्र रामनारायण मीना निवासी बहडको बास ककराली तहसील राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर अपीलान्ट का रिश्ते में दादा लगता था के कोई सुलबी लडका नहीं था। गणेश के एक पुत्र हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई इसीलिए गणेश ने अपीलान्ट को बाल्य अवस्था में अपने पास रख लिया तथा गांव के मौजिज पंचगण रिश्तेदारान व अन्य सगे सम्बन्धियों के समक्ष अपीलान्ट को अपने गोद में बिठा लिया और गोद की रस्म पूरी कर दी तथा इसके पश्चात दिनांक 21.07.1983 को एक तहरीर गोदनामा तहरीर करवाकर उप पंजियक कार्यालय राजगढ में पंजिबद्व करवा दिया। गणेश व उसकी पत्नि नत्थी ने बाद लेने गोद अपीलान्ट का पालन पोषण किया व शादी विवाह किये और गोद लेने के दिनांक से ही अपने दत्तक पिता गणेश एवं माता नत्थी देवी के पास बतौर दत्तक पुत्र रहता रहा है तथा अपीलान्ट का दत्तक पिता गणेश व अपीलान्ट की दत्तक माता नत्थी देवी की मृत्यु होने के पश्चात

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

उनके समस्त किया कर्म अस्थि विसर्जन आदि के बतौर दत्तक पुत्र अपीलान्ट द्वारा सम्पन्न किया गया। मृत्यु के उपरान्त दत्तक पिता गणेश की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर अपीलान्ट का एक मात्र उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट का दत्तक पिता गणेश पुत्र रामनारायण की साबिक आराजी खसरा नं0 1167 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 1200 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 1199 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 1223 रकबा 2 बीघा, 1313 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 1332 रकबा 16 बिस्वा, 1327 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 1326 रकबा 1 बिस्वा, 1198 रकबा 10 बिस्वा का 1/3 हिस्सा तथा 1169 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 1367 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1366 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 1209 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, वाके ग्राम बहडको कला तहसील रैणी सालिम का काबिज खातेदार काश्तकार था उक्त आराजी पर हाल खसरा नं0 2122/0.62, 2162/0.33, 2163/0.45, 2164/0.35, 2165/0.37, 2195/0.03, 2197/0.03, 2216/0.27, 2227/0.81, 2234/0.16, 2656/0.34, 2657/0.31, 2662/0.02, 2663/0.03, 2167/0.12, 2198/0.17, 2071 रकबा 0.57, 2152/0.16, 2153/0.79, 2188/0.39 वाके ग्राम बहडको कला तहसील रैणी कायम किये गये है जिसकी ताईद साबिक जमाबंदी, हाल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न है।

अपीलान्ट ने अपने दत्तक पिता गणेश की मृत्यु के पश्चात मुताबिक गोदनामा नामातंकरण दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया जिस पर मुताबिक गोदनामा पटवारी हल्का के द्वारा नामांतकरण संख्या 5 वाके बहडको कला तहसील रैणी दर्ज किया गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा नामांतकरण के कॉलम संख्या 9 में अपीलान्ट का नाम गोरधन पुत्र लल्लू जो अपीलान्ट के असल पिता का नाम है को ही दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट को मृतक गणेश का दत्तक पुत्र दर्ज नहीं किया गया जिसके कारण अपीलान्ट को खातेदारी हक हकूक प्रभावित हो रहे है। अपीलान्ट अपनी आराजी की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का द्वारा बताया कि उसकी आराजी के रिकॉर्ड में उसके दत्तक पिता गणेश का नाम अंकित नहीं है जिस पर अपीलान्ट ने नकल नामांतकरण लेने के लिए आवेदन पेश किया गया जो नकल दिनांक 17.03.2017 को प्राप्त हुई तथा तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है तथा कानूनन निर्णय दिनांक 20.05.1989 से अपील 30 दिवस की अवधि में पेश की जानी चाहिऐ थी लेकिन लाइल्मी के कारण अपील पेश करने में देरी हो गई तथा जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है तथा देरी को कण्डोन किए जाने का प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत पेश है।

तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.1989 नामान्तकरण संख्या 5 वाके ग्राम बहडको कला तहसील रैणी जिला अलवर में अंकित प्रविष्ठी को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है मुताबिक गोदनामा के अपीलान्ट की वलदियत संसोधित की जाकर गोरधन पुत्र लल्लू के स्थान पर गोरधन दत्तक पुत्र गणेश दर्ज किया जाना के आदेश फरमाने की कृपा करे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 20.05.89 को नामान्तकरण संख्या 5 को स्वीकार करते समय मुताबिक गोदनामा के

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

अपीलान्ट का नाम गोरधन दत्तक पुत्र गणेश दर्ज करना चाहिए था जो सहवन से गोरधन पुत्र लल्लू दर्ज कर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम मुताबिक गोदनामा दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा नामांतकरण तस्दीक करते समय इस और ध्यान नहीं दिया गया इसीलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार रैणी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.89 नामान्तकरण संख्या 5 वाके ग्राम वहडको कला तहसील रैणी निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ हाल तहसीलदार रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत गोदनामा की विधिवत जांच कर नियमों के परिपेक्ष में निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)